

झांसी नगर से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण एवं शुद्धीकरण किये जाने हेतु सेनेटरी लैण्ड फिल एण्ड कम्पोस्टिंग साइट विकसित करने हेतु दिनांक-12.5.2010 को हुई लोक सुनवाई का कार्यवृत्त:-

जनपद झांसी से जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु सेनेटरी लैण्डफिल एण्ड कम्पोस्टिंग साइट विकसित करने हेतु उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या-एफ 59976/सी-2/एनओसी/3416/2010 दिनांक-20.01.2010 के माध्यम से प्राप्त निर्देशों के अनुपालन में नियत स्थान एवं समय पर लोकसुनवाई आयोजित करने हेतु दिनांक-25.2.2010 एवं दिनांक-26.02.2010 को दैनिक समाचार पत्रों में आम सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। उक्त अनुक्रम में दिनांक-26.3.2010 को पंचायत भवन, बिजौली औद्योगिक क्षेत्र के पास, बिजौली, झांसी में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या-एस.ओ. 1533 दिनांक-14.9.2006 में वर्णित प्राविधानों के अनुरूप अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०) की अध्यक्षता में दिनांक-26.3.2010 को आयोजित की गयी थी। उक्त लोकसुनवाई में उपस्थित जनता के प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित स्थल पर लैण्डफिल साइट विकसित करने से आस-पास के क्षेत्रों में स्थित आवासीय कालोनियों को दुर्गंध एवं प्रदूषण से होने वाले संभावित कुप्रभावों के मद्देनजर विरोध किया गया था। उक्त लोकसुनवाई का कार्यवृत्त जिलाधिकारी महोदय झांसी को प्रस्तुत किया गया था। जिलाधिकारी महोदय द्वारा आमजन को होने वाले कुप्रभावों के पुनः अध्ययन एवं उसके निराकरण एवं ठोस कार्यवाही करने हेतु पुनः लोकसुनवाई दिनांक-12.5.2010 को पूर्व प्रस्तावित स्थल पर ही आयोजित करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देशों के अनुपालन में दिनांक-12.5.2010 को लोकसुनवाई आयोजित करने के संबंध में सदस्य सचिव महोदय, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रांक-एफ 65821/सी-2/एनओसी/3416/2010 दिनांक-03.4.2010 के माध्यम निर्देश प्राप्त हुये थे। उपरोक्त निर्देशों के अनुक्रम में दिनांक-12.5.2010 को लोकसुनवाई करने से पूर्व दिनांक-06.5.2010 को दैनिक जागरण के हिन्दी संस्करण एवं हिन्दुस्तान टाइम्स के अंग्रेजी संस्करण में आम सूचना प्रकाशित करायी गयी थी। लोकसुनवाई से पूर्व एवं लोकसुनवाई के दौरान कोई भी लिखित आपत्ति/शिकायत/सुझाव समाचार पत्रों में प्रकाशित नियत कार्यालयों में प्राप्त नहीं करायी गयी है। दिनांक-12.5.2010 को आयोजित लोकसुनवाई में निम्नांकित अधिकारी/सदस्य उपस्थित हुये:-

1. श्री नरेश चन्द्र श्रीवास्त, अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०)/अध्यक्ष।
2. श्री जे० पी० चौरसिया, नगर आयुक्त, झांसी।
3. श्री चुनकू राम, सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी।
4. श्री प्रभू नाथ, उप जिलाधिकारी, सदर, झांसी।
5. श्री शौकत अली, परियोजना प्रबन्धक, सी० एण्ड डी०एस०, जल निगम।
6. डा० डी० के० सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, नगर निगम, झांसी।
7. श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।

कमश: 2...

8. डा० टी० एन० सिंह, सहा० वैज्ञा० अधि० उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी।
9. श्री आशुतोष चौहान, सहा० पर्या० अभि०, उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, झांसी
10. सुश्री अनुपमा सिंह, परामर्शी ग्रास रूट्स रिसर्च एवं क्रिएशन प्रा० लि० नई दिल्ली।
11. श्री रवि निगम, एड०, पर्या० जीव एव जन्तु कल्याण संस्था, झांसी (एनजीओ)
12. श्री सुखलाल कुशवाहा, युवा विकास केन्द्र, टहरौली, झांसी, (एनजीओ)।
13. श्री राम प्रसाद यादव, स्थानीय नागरिक, बिजौली, झांसी।
14. श्री उधम सिंह यादव, स्थानीय नागरिक, बिजौली, झांसी।
15. सुनवाई में उपस्थित अन्य सदस्यों की उपस्थिति पंजिका छायाप्रति।

लोक सुनवाई में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के श्री राम गोपाल, क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उक्त परियोजना पर पुनः विस्तृत प्रकाश डाला गया, तथा उपस्थित जन समुदाय से परियोजना से संबंधित सुझाव/शिकायत प्रस्तुत करने हेतु एवं परियोजना के परामर्शी को जनशिकायतों के निराकरण हेतु परियोजना में प्रस्तावित योजनाओं /जनशिकायतों के निराकरण के उपायों के संबंध में अवगत कराने हेतु निर्देश दिये गये। उक्त परियोजना के स्थापितकर्ता/परामर्शी मेसर्स ग्रास रूट्स रिसर्च एवं क्रियेशन्स प्रा० लि० नई दिल्ली की ओर से उपस्थित सुश्री अनुपमा सिंह द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से परियोजना के वैज्ञानिक पहलुओं एवं प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित बिन्दुओं पर प्रकाश डाला गया। परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्डफिल साइट का विकास वैज्ञानिक/तकनीकी आधार पर किया जाना प्रस्तावित है, तथा नगरीय ठोस से लदे ट्रको/ट्रालियों के आवागमन एवं कचरे के लोडिंग/अनलोडिंग से होने वाले दुर्गन्ध के निराकरण हेतु केमिकल/इन्सेक्टीसाइड का स्प्रे किया जायेगा, जिससे दुर्गन्ध/विषाणु उत्पन्न नहीं होंगे और लोगों को किसी भी तरह के दुर्गन्ध का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लाण्ट के कचरे से खाद, बिजली, गैस आदि का निर्माण किया जायेगा, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्लाण्ट के चारों ओर बाउण्ड्रीवाल बनायी जायेगी एवं उसके चारों ओर पाँच मीटर चौड़ी हरितपट्टी का विकास किया जायेगा, तथा समय-समय पर दवाओं का छिड़काव भी किया जायेगा। निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त उक्त लैण्डफिल साइट को बन्दकर, उस पर पार्क/आर्चर्ड विकसित किया जायेगा।

नगर आयुक्त झांसी द्वारा सरल भाषा में उक्त योजना से होने वाले लाभों के सम्बंध में अवगत कराया गया, कि उक्त योजना जवाहर लाल नेहरू शहरी नदीकरण मिशन के अन्तर्गत प्राप्त धन से एक बहुउपयोगी योजना झांसी को प्राप्त हुयी है, जिससे नगर निगम क्षेत्र में स्थित घरों/आवासों इत्यादि से कूड़ा-कचरा एकत्रित कर वैज्ञानिक तरीके से उसका पृथक्कीकरण किया जायेगा तथा बायोडिग्रेडेबल कूड़े से कम्पोस्ट खाद, ऊर्जा प्राप्त की जायेगी। अन्य नान बायोडिग्रेडेबल कूड़े को लैण्डफिल

कमशः 3...

(P)

साइट में डम्प किया जायेगा। जिससे किसी भी तरह के जल/वायु/दुर्गन्ध/प्रदूषण का खतरा नगण्य रहेगा। उनके द्वारा दिये गये सुझावों/विवेचना से उपस्थित जनसमुदाय संतुष्ट था।

लोकसुनवाई में उपस्थित श्री उधम सिंह यादव द्वारा पूछा गया कि उक्त कूड़े को कम्पोस्टिंग/लैण्डफिल साइट तक लाने हेतु बन्द वाहन की व्यवस्था की गयी है ? उक्त प्रश्न के संबंध में परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि कूड़ा बन्द गाड़ी में लाया जायेगा तथा दुर्गन्ध रोकने हेतु विभिन्न तरह के केमिकल्स का प्रयोग किया जायेगा, जिससे दुर्गन्ध आदि नहीं उत्पन्न नहीं होगी। श्री उधम सिंह द्वारा कूड़े के डम्पिंग से होने वाले भूगर्भ जल के प्रदूषण, पथरीली इलाके में ग्रीन बेल्ट का विकास, कूड़े का सम्यक रूप से निस्ताण एवं रिहायशी से लैण्डफिल साइट के बीच की दूरी के संबंध में प्रश्न पूछे गये। परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि लैण्डफिल साइट पर कई तरह के कड़े मिट्टी के परतों एवं एच.डी.पी.ई. लाईनिंग के साथ इस तरह निर्मित किया जायेगा कि भूगर्भ जल किसी भी रूप में प्रदूषित नहीं होगा। यदि किसी भी तरह का लीचेट उत्पन्न होता है तो उसके शुद्धीकरण हेतु व्यवस्था स्थापित की जायेगी। पथरीली जगह में देशी पौधों का रोपण किया जायेगा। परामर्शी द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत जारी नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के अनुसार रिहायशी आबादी से लैण्डफिल साइट को दूर रखने हेतु निर्देश दिये गये हैं परन्तु वास्तविक दूरी हेतु अवगत नहीं कराया गया है। परामर्शी के उक्त कथन से प्रश्नकर्ता संतुष्ट हुये। लोकसुनवाई में उपस्थित श्री राम प्रसाद यादव द्वारा बदबू से होने वाली परेशानी एवं उसके नियंत्रण हेतु किये जाने वाले उपायों के बारे में जानकारी चाही गयी। नगर आयुक्त एवं परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त कचड़े से कम्पोस्ट खाद बनायी जायेगी तथा उत्पन्न गैस जो दुर्गन्धरहित है को एकत्रित किया जायेगा तथा बायोगैस के रूप में ईंधन/प्रकाश उत्पन्न करने वाले लैम्प में प्रयुक्त किया जायेगा। श्री माधव सिंह यादव द्वारा निस्तारण स्थल के आस-पास मकानों को प्रशासन द्वारा ढहाये जाने के संबंध में भी प्रश्न पूछे गये। नगर आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया कि बाउण्ड्री वाल के बाहर स्थित रिहायशी मकान/कालोनी को ढहाये/स्थानान्तरित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। नगर आयुक्त के उक्त प्रश्न से दोनो प्रश्नकर्ता संतुष्ट थे। अन्य उपस्थित नागरिकों/जनसमुदाय द्वारा भी अपनी शिकायत/शंकायें दर्ज करायी गयी। उपस्थित नागरिकों द्वारा उठाये गये शिकायतें/शंकाओं का परामर्शी द्वारा बड़ी बेबाकी से समाधान किया गया।

क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हथालन) नियम 2000 के अन्तर्गत लैण्डफिल साइट विकसित करने से पूर्व एअरपोर्ट अथॉर्टी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना आवश्यक है। अतः विकास

कमशः 4...


PPW

कर्ता को उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व एअरपोर्ट अथार्टी से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। परामर्शी द्वारा अवगत कराया गया कि एअरपोर्ट से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने विषयक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर ली जायेगी।


सचिव, झांसी विकास प्राधिकरण एवं अपर जिलाधिकारी/अध्यक्ष (लोकसुनवाई) द्वारा भी उपस्थित जनसमुदाय को लैण्डफिल साईट के विकसित करने से संबंधित आस-पास के क्षेत्रों में सम्भावित प्रदूषण के निराकरण हेतु विकासकर्ता को परियोजना में अभिकथित प्रस्तावों के अनुरूप विकसित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये गये। उपस्थित जनसमुदाय द्वारा परामर्शी के कथनों/उपस्थित अधिकारियों के निर्देशों से संतुष्ट थे। योजना के निर्माण में किसी भी तरह का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु वचनबद्धता व्यक्त की गयी।

उपरोक्त समस्त अभिकथनों/निर्देशों के अनुसार प्रस्तावित सेनेटरी लैण्डफिल एवं कम्पोस्टिंग साईट का परियोजना में वर्णित उपायों के अनुसार स्थापित/विकसित किया जाता है, तो झांसी नगर निगम से जनित ठोस अपशिष्ट के निस्तारण में मील का पत्थर साबित होगा, तथा कूड़े कचरे से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभावों को रोकने में मददगार साबित होगा। अतएव उक्त लोकसुनवाई के उपरोक्त कार्यवृत्त के अनुसार नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्ध एवं हथालन) नियम 2000 के निर्देशों के अनुरूप नियमानुसार तत्संबंधी निर्णय लिये जाने संस्तुति की जाती है।

आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत ।


(राम गणपाल)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
झांसी ।


(एन० सी० श्रीवास्तव)
अपर जिलाधिकारी (वि० एवं रा०),
झांसी


15/05/20

क्र.सं.	अधिकारी / सदस्य / आगे हुए का नाम क पद नाम	विभाग / पता	हस्ताक्षर
1	श्री एन.बी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक	श्री.पी.	
2	श्री. पी. पी. शर्मा - नाग आ.स.स.	उप	
3	कुनकु राम सचिव, J.D.A.	विभाग - जलिकाम	
4	श्री. क. त. अ. पी. परि. ००० श्री. उ. पी. ए. ज. ज. ज. ज. ज.	CEDS JALNIGAM - Jhansi	
5	पुष्पगंगा उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)		12/05/2010
6	श्री. ए. पी. सिंह - A.S.O.	U.P.P.C.B, Jhansi	
7			
8			
9	राम मोहन श्री. पी. पी. शर्मा	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
10	रवि चंद्र निरंजन नगर निगम गांधी		
11	डा. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
12	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
13	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
14	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
15	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
16	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
17	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
18	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
19	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
20	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
21	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
22	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
23	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
24	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
25	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
26	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
27	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	
28	श्री. पी. पी. शर्मा (उप) उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	उप-निरीक्षक (सि.ए. ज.पी.)	

क्र. सं.	अधिपति / सदस्य / कागज का नाम व पद नाम	(नि. प्रा.) / पदा	हस्ताक्षर
30	Mohandua Singh		
31	आदि रण	विजय शी	
32	भारतन लाल पारख	विजय शी	
33	अशोक शर्मा	विजय शी	
34	रसीद रानी	रसीद रानी	
35	गणेश शर्मा	पाठक रानी	रसीद रानी
36	राजवीर	पाठक रानी	गणेश शर्मा
37	श्रीराम शर्मा	पाठक रानी	अशोक शर्मा
38	विजय शर्मा	विजय शी	महेश शर्मा
39	रवि	रवि	
40	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
41	अशोक शर्मा		
42	अशोक शर्मा		
43	श्रीराम शर्मा		
44	अशोक शर्मा		
45	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
46	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
47	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
48	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
49	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
80	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
81	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
82	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	
83	अशोक शर्मा	अशोक शर्मा	